भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3650

24 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में दवाओं की अनुपलब्धता

3650 # श्री नीरज डांगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों के जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में महीनों तक आवश्यक दवाएँ अनुपलब्ध रहती हैं, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष दवाओं की आपूर्ति के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद, अस्पतालों में दवाओं की कमी बनी रहती है;
(ग) सरकार द्वारा देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या सफलतम प्रयास किए जा रहे है; और
(घ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा सेवा पहल को प्रभावी बनाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य से संबंधित विषय है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखी गई आवश्यकताओं के आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए सहायता शामिल है।

भारत सरकार की निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) के तहत औषधियों की खरीद और अधिप्रापण की समर्थ प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और जरूरी दवाओं के अधिप्रापण की वस्तु स्थिति और उनकी उपलब्धता की मॉनीटरिंग करने हेतु आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने जन स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक औषधियों की सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और प्रमुख रोगों से संबंधित विभिन्न नि:शुल्क सेवाओं का प्रावधान शामिल है। ईएमएल में शामिल औषधियों की संख्या के अनुसार, उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 106, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 172, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 300, उप-जिला अस्पताल स्तर पर 318 और जिला अस्पताल स्तर पर 381 औषधियां हैं। तथापि, राज्यों को इसमें और औषधियां जोड़ने की छूट है।

एफडीएसआई के तहत खरीदी गई औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, इस पहल के संचालन संबंधी दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

- सभी औषधियाँ अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन करने वाले निर्माताओं से सुदृढ़ अधिप्रापण तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आपूर्ति के बाद वितरण से पूर्व प्रत्येक बैच की जांच की जानी चाहिए।

****